

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
संख्या।320/V-2/2020/22(आ०)/2019
देहरादून दिनांक ०२ नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

राज्य में महिला उद्यमियों के उद्यमिता विकास एवं आजीविका संबद्धन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 422/2019 के क्रम में स्थानीय संसाधनों पर आधारित कृषि एवं गैर कृषिगत उत्पादों को बाजार जुड़ाव एवं बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के प्रयोजन से स्थानीय वास्तुकला पर आधारित आकर्षक 5100 कियोस्क के निर्माण के दृष्टिगत निम्नांकित दिशा-निर्देशों के अधीन "मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना" प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1— उद्देश्य:

योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों पर आधारित कृषि एवं गैर कृषिगत उत्पादों को बाजार जुड़ाव एवं बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के प्रयोजन से स्थानीय वास्तुकला पर आधारित आकर्षक 5100 कियोस्क का निर्माण करना है, ताकि राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सके।

2— योजना के हितभागी विभाग:

योजना का संचालन आवास विभाग के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से किया जायेगा। योजना के अन्य हितभागी क्रमशः शहरी विकास विभाग/स्थानीय नगर निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत), उद्योग विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग हैं।

3— कियोस्क स्थापना हेतु मॉडल:

कियोस्क की स्थापना निम्नवत् चार मॉडल के आधार पर की जा सकेगी:-

- 3.1— लाभार्थी द्वारा स्वयं की भूमि पर कियोस्क की स्थापना।
- 3.2— स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा चिन्हित वैडिंग जॉन में चलायमान (Mobile) अथवा स्थिर (Static) कियोस्क की स्थापना।
- 3.3— स्थानीय नगर निकायों द्वारा चिन्हित राजकीय/निजी भवन में स्थापित 'शहरी आजीविका केन्द्रों' में किराया आधारित विक्रय केन्द्रों का विकास।
- 3.4— राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि का जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/जिला प्रशासन के सहयोग से विकास कर कियोस्क निर्माण हेतु उपलब्ध कराना।

4— पात्रता:

योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के लिये अर्हता एवं पात्रता निम्नलिखित प्रकार से होगी :—

- 4.1— महिला अभ्यर्थी की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- 4.2— शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
- 4.3— महिला अभ्यर्थी राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- 4.4— योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित श्रेणी की महिलायें वित्त पोषण की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं :—
 - 4.4.1—ऐसे अभ्यर्थी, जो कृषि अथवा गैर कृषि आधारित उद्यमिता से जुड़े हुए हों,
 - 4.4.2—स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह जिनके समूह का बैंक खाता विगत 3 वर्षों से नियमित रूप से संचालित हो रहा हो,
 - 4.4.3—महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य,
 - 4.4.4—एम०एस०एम०ई० तथा सहकारिता में पंजीकृत महिला उद्यमी,
 - 4.4.5—मुद्रा ऋण अथवा अन्य उद्यम योजना से ऋण प्राप्त उद्यमी,
 - 4.4.6—महिला सहकारिता की सदस्य,
 - 4.4.7—दुग्ध अथवा अन्य उत्पाद समूह, जो दुग्ध सहकारिता परिषद अथवा अन्य को सामूहिक रूप से दुग्ध विक्रय करते हो,
 - 4.4.8—उद्यमशील युवा बेरोजगार महिलायें।
- 4.5— अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹० 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। अन्त्योदय एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- 4.6— आवेदक किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए तथा समान प्रयोजन हेतु किसी अन्य स्रोत यथा— मुद्रा ऋण अथवा अन्य उद्यम योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।

5— लाभार्थी के चयन, कियोस्क हेतु स्थान तथा कियोस्क डिज़ाइन के निर्धारण हेतु समिति:

जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाएगा :—

- 1— मुख्य विकास अधिकारी।
- 2— अपर जिलाधिकारी, प्रशासन।
- 3— सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय विकास प्राधिकरण।

- 4— नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर, पंचायत।
- 5— महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
- 6— परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण।
- 7— लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता।
- 8— जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक।
- 9— जनपद स्थित प्रमुख बैंकों के प्रबन्धक।
- 10—एन०आर०एल०एम० के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी।

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी विशेषज्ञों/विभागों को समिति में बतौर आमंत्रित सदस्य नामित कर सकते हैं। समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कियोस्क की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों व पात्र लाभार्थियों के चयन के साथ-साथ स्थानीय वास्तुकला आधारित कियोस्क के डिजाइन का निर्धारण भी किया जायेगा।

6— कियोस्क की स्थापना हेतु प्रस्तावित मॉडल:

6.1—लाभार्थी द्वारा स्वयं की भूमि पर कियोस्क की स्थापना:—

पात्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की भूमि पर निर्धारित डिजाइन के अनुरूप कियोस्क का निर्माण जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है, जिस हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के शासनादेश संख्या—580/VII-3/01—एम०एस०एम०ई०/2020, दिनांक 9 मई, 2020 के प्राविधानानुसार सभी प्रकार के व्यवसाय, जिसमें कियोस्क भी शामिल है, के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष देय मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित पात्र लाभार्थी को संबंधित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा कियोस्क की कुल लागत की 20 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में पृथक से भी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

6.2— स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा चिह्नित वैडिंग ज़ोन में स्वयं के चलायमान (Mobile) अथवा स्थिर (Static) कियोस्क की स्थापना :—

उत्तराखण्ड नगरीय फेरी तथा सड़क पटरी पर व्यवसाय (विनियमन व प्रबंधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत चिह्नित वैडिंग ज़ोन में चलायमान (Mobile) अथवा स्थिर (Static) कियोस्क का निर्धारित डिजाइन के अनुरूप निर्माण, जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र लाभार्थी द्वारा किया जा सकता है, जिस हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के शासनादेश संख्या— 580/VII-3/01—एम०एस०एम०ई०/2020, दिनांक 9 मई, 2020 के प्राविधानानुसार सभी प्रकार के

व्यवसाय, जिसमें कियोस्क भी शामिल है, के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष देय मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित पात्र लाभार्थी को संबंधित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा कियोस्क की कुल लागत की 20 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में पृथक से भी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

6.3 स्थानीय नगर निकायों द्वारा चिन्हित राजकीय/निजी भवन में किराया आधारित—

राज्य के 8 नगर निगमों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी तथा जनपद मुख्यालय के नगर निकायों में 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के अंतर्गत प्रावधानित 'शहरी आजीविका केन्द्र' (City Livelihood Center) को विपणन केन्द्र के रूप में विकसित कर पात्र चिन्हित लाभार्थियों को इनमें उचित स्थान आवंटित किया जायेगा। उक्त के एवज में संबंधित लाभार्थियों (बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय को छोड़कर) से न्यूनतम मासिक किराया, जिसका निर्धारण जनपद स्तरीय समिति के द्वारा किया जायेगा, प्राप्त किया जायेगा।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों को विपणन सेवाएं/सुविधाएं, स्वरोजगार, कौशल विकास तथा अन्य लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से 'शहरी आजीविका केन्द्र' (City Livelihood Center) की स्थापना का प्रावधान रखा गया है, जिस हेतु रु० 10 लाख प्रति केन्द्र की अनुमन्यता है। उक्त केन्द्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, जिसमें 2 कमरे एवं वॉशरूम सम्मिलित है, निर्धारित हैं। उक्त प्रयोजनार्थ अनुमन्य धनराशि का उपयोग केन्द्र के मासिक किराये तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि में किया जा सकता है।

6.4— राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि का जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/जिला प्रशासन के सहयोग से विकास कर कियोस्क निर्माण हेतु उपलब्ध कराना :—

धार्मिक, पर्यटन एवं व्यवसायिक महत्व के स्थानों में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, जिसे जिला स्तरीय समिति के द्वारा कियोस्क निर्माण के प्रयोजनार्थ चिन्हित किया गया हो, को संबंधित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/ जिला प्रशासन के सहयोग से विकसित कर चयनित लाभार्थियों को कियोस्क के निर्माण हेतु आंवटित किया जायेगा।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/जिला प्रशासन के द्वारा क्रंक्रीट लेबलिंग, ड्रेनेज, विद्युतीकरण, शौचालय, कूड़ेदान तथा बैठने की व्यवस्था आदि से संबंधित विकास कार्य संबंधित चिन्हित भूमि पर किये जायेंगे। नगर निकायों में उक्त कार्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 'सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स' घटक के अंतर्गत किया जा सकेगा। उक्तानुसार विकसित स्थल चिन्हित लाभार्थियों को निःशुल्क पट्टे पर 5 वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे समिति के अनुमोदनोपरान्त विस्तारित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के शासनादेश संख्या—580/VII-3/01-एम०एस०एम०ई०/2020, दिनांक 9 मई, 2020 के प्राविधानानुसार सभी प्रकार के व्यवसाय, जिसमें कियोस्क भी शामिल है, के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष देय मार्जिन मनी चिन्हित लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित पात्र लाभार्थी को संबंधित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा कियोस्क की कुल लागत की 20 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में पृथक से भी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

7- पात्र लाभार्थी के चयन व कियोस्क के आवंटन हेतु अन्य मानक-

- 7.1- जनपद स्तर पर पात्र महिला लाभार्थियों का चयन बिन्दु संख्या 5 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- 7.2- समिति पात्र लाभार्थी के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण कर, वरीयता के अनुरूप पात्र लाभार्थी का निर्धारण करेगी।
- 7.3- योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी का चयन, समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुरूप इच्छुक महिला आवेदकों द्वारा डाक के माध्यम से आवेदन प्रेषित किया जायेगा। डाक के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों में चयन “पहले आओ, पहले पाओ आधार” पर किया जा सकेगा, जिस हेतु प्राप्त आवेदन को, आवेदन प्राप्ति के समय व दिनांक के आधार पर निश्चित क्रमाक प्रदान किया जायेगा। चयन हेतु गठित समिति द्वारा स्वयं भी अन्य मानकों का निर्धारण किया जा सकेगा, जिससे स्वच्छ व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पात्रों का चयन किया जा सके।
- 7.4- कियोस्क आवंटन में कोविड-19 से प्रभावित परिवार की महिला सदस्यों तथा बी०पी०एल०/अन्त्योदय श्रेणी की महिला सदस्यों/स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को वरीयता दी जायेगी।
- 7.5- बिन्दु संख्या 5 के अनुसार गठित समिति द्वारा कियोस्क के आवंटन में यह संज्ञान में रखा जाना आवश्यक होगा कि एक ही तरह के उत्पादों हेतु समस्त कियोस्क का आवंटन न किया जाए अपितु कियोस्क के आवंटन में उत्पादों की विविधता का संज्ञान अवश्य लिया जाय।
- 7.6- पात्र लाभार्थी को कियोस्क का आवंटन एक बार हो जाने के बाद इसका स्थानान्तरण बिना समिति के अनुमति के नहीं हो सकेगा।
- 7.7- पात्र लाभार्थी के द्वारा कियोस्क का अन्य को विक्रय किये जाने अथवा किराये पर दिये जाने अथवा स्थानान्तरित किये जाने की स्थिति में पात्र लाभार्थी से कियोस्क निर्माण की दोगुनी लागत की धनराशि, भू-राजस्व वसूली की प्रक्रिया अनुसार वसूल की जायेगी।

7.8— योजना के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार गठित समिति को पूर्ण अधिकार होगा वह पात्रता तथा गलत तथ्यों के पाये जाने तथा अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में, कियोस्क का आवंटन निरस्त कर, पुनः नये चयनित लाभार्थी को आवंटित कर सके।

7.9— पूर्ण पारदर्शिता हेतु लाभार्थी व जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय नगर निकायों के मध्य, द्विपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

7.10—यह योजना पूर्णतया महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु संचालित की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में, कियोस्क का आवंटन नहीं किया जायेगा।

8— कियोस्क का डिजाइन/मॉडल :-

स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक विरासत, जनपद की विशिष्ट वास्तुकला, धार्मिक स्थलों इत्यादि के आधार पर डिजाइन विकसित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्लोगन अथवा लोगो अथवा परियोजना आधारित लोगो को कियोस्क में लगाया जाना आवश्यक होगा।

9— कियोस्क का लागत विवरण:

पर्वतीय जनपदों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, पौडी, जनपद देहरादून का मसूरी, कालसी व चकराता क्षेत्र, नैनीताल जनपद का हल्द्वानी एवं रामनगर व अन्य मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र) हेतु प्रति कियोस्क निर्माण लागत ₹0 1.50 लाख तथा मैदानी जनपदों (देहरादून जनपद के मसूरी, कालसी व चकराता क्षेत्र को छोड़कर अन्य मैदानी क्षेत्र, नैनीताल जनपद का हल्द्वानी, रामनगर व अन्य मैदानी क्षेत्र, उधमसिंह नगर, हरिद्वार) हेतु ₹0 1.25 लाख निर्धारित है।

प्रस्तर 6.1, 6.2 व 6.4 में कियोस्क की स्थापना हेतु वर्णित मॉडल के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के शासनादेश संख्या 580 / VII-3 / 01-एम०एस०एम०ई० / 2020, दिनांक 9 मई, 2020 के प्राविधानानुसार आवश्यक ऋण व अनुदान की सुविधा, उद्योग विभाग के माध्यम से प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा चयनित लाभार्थियों को कियोस्क की कुल लागत की 20 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में पृथक से भी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

प्रस्तर 6.3 में वर्णित मॉडल के अंतर्गत स्थानीय नगर निकायों द्वारा चिन्हित राजकीय/निजी भवन में 'शहरी आजीविका केन्द्र' (City Livelihood Centre) की स्थापना एवं संचालन हेतु धनराशि 3 किरतों में निम्नवत अवमुक्त की जायेगी:-

- राज्य स्तरीय समिति से परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त प्रथम किस्त (परियोजना लागत का 30 प्रतिशत)।

- कार्ययोजना के अनुसार आधारभूत संरचना का निर्माण किये जाने के उपरान्त द्वितीय किस्त (परियोजना लागत का 40 प्रतिशत)।
- शहरी आजीविका केन्द्र' (City Livelihood Centre) आरम्भ किये जाने के उपरान्त तृतीय किस्त (परियोजना लागत का 30 प्रतिशत कुल)।

"शहरी आजीविका केन्द्र" (City Livelihood Centre) हेतु अनुमन्य धनराशि का उपयोग नवीन निर्माण/भवन निर्माण में नहीं किया जा सकेगा, अपितु विद्यमान राजकीय भवन आदि के सुधारीकरण (renovation), आवश्यकीय अवस्थापना विकास आदि हेतु किया जा सकेगा।

(शैलेश बगौली)

सचिव,

संख्या- 1320/V-2/20-22(घो०)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड रासन।

2- सचिव, राहरी विकास विभाग/उद्योग विभाग/लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड रासन।

3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4- उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून/हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।

5- उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

6- अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

7- गार्ड फाईल।

अरपण
(अरपण कुमार राजू)
उप सचिव।